महत्वपूर्ण / ई–मेल

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ *(05962) 231099 Fax : 230397*

पत्रांक – 415 / 12-1(2) अल्मोड़ा, दिनांक -28/07/ .2021.

सेवा में,

1:– श्री महातिम यादव
प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

2:-- श्री हिमांशु बागरी
प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

3:– श्री मयंक शेखर झा
प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

4:– श्री रमेश काण्डपाल
प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

5:– डॉ0 विनय भार्गव
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

विषय :– वन संरक्षण अधिनियम –1980 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों में परीक्षणोंपरान्त पायी गयी कमियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र सं0 127 / 1जी–5055 दिनांक 12.07.2021।

महोदय,

संदर्भित पत्र जो आपको भी पृष्ठांकित है का अवलोकन करें। वन भूमि हस्तान्तरण के Online प्रस्तावों की हॉर्ड कॉपी Offline प्रेषण के सम्बन्ध में प्रभाग स्तर से पूर्णतः पालन न होने से उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि अब भविष्य में जो भी नये प्रस्ताव Online upload किये जायेगे। Online प्रस्तावों की मूल हॉर्ड कॉपी तीन प्रतियों में इस कार्यालय स्तर से अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय में उपलब्ध करायी जानी है। इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में जो भी नये प्रस्ताव Online (Parivesh में) upload किये जायेगे। उनकी चार हॉर्ड कॉपी जिसमें Part-I, Part-II तथा प्रस्तावों में संलग्न किये गये समस्त प्रपत्रों में प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी जिसने हस्ताक्षर किये है उनका हस्ताक्षरों के साथ पूरा नाम, पदनाम एवं दिनांक सहित प्रपत्र संलग्न होना आवश्यकीय एवं अपरिहार्य है।

2– उपरोक्त के अतिरिक्त EDS (Essential details sought) के जो प्रतिउत्तर आपके द्वारा प्रेषित किये जायेगे उसमें बिन्दुवार उत्तर तथा उत्तर से सम्बन्धित संगत अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य है। प्रेषित उत्तर की चार हॉर्ड कॉपी जिसमें सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी के हस्ताक्षर तथा उनका हस्ताक्षरों के साथ पूरा नाम, पदनाम एवं दिनांक लिखा जाना अनिवार्य है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ वन प्रभाग
प्र. सं. 1194 12-1
दिनांक 5-8-21

सा.मा.-प
हे. अ. को बढ़े
उ. प्र. अ.

––2––

3— वर्तमान तक प्रचलित व्यवस्था में आपके द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव Online के माध्यम से प्रेषित कर दिये जाते है, किन्तु उनकी हॉर्ड कॉपी इस कार्यालय में अत्यधिक विलम्ब से उपलब्ध करायी जाती है, जिसके कारण सभी प्रस्ताव अधोस्ताक्षरी स्तर पर लम्बित रह जाते है।

इस सम्बन्ध में आपको अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून के संदर्भित पत्र द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में स्पष्ट निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में जो भी नये/EDS प्रस्ताव Online किये जायेगे। Online किये जाने से पूर्व प्रस्ताव से सम्बन्धित समस्त प्रकरणों की हॉर्ड कॉपी इस कार्यालय में उपलब्ध कराने के पश्चात इस कार्यालय से प्राप्ति रसीद प्राप्त होने के उपरान्त ही सभी प्रकरणों को इस कार्यालय को Online के माध्यम से प्रेषित किये जाये। सुलभ संदर्भ हेतु अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून के संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है। कृपया अपने स्तर से प्रस्तावक विभाग को उक्त निर्देशों का अनुपालन किये जाने हेतु प्रचार–प्रसार करें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

(प्रवीण कुमार)
वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

<u>पत्रांक – 415 / 12-1(2) दिनांकित</u> ।

प्रतिलिपि :– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में प्रेषित कर अनुरोध है कि आपके द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में जारी दिशा निर्देशानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रभागीय वनाधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है।

(प्रवीण कुमार)
वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

<u>पत्रांक – 415 / 12-1(2) दिनांकित</u> ।

प्रतिलिपि :– मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल को अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का संदर्भित पत्र जो आपको भी पृष्ठांकित है के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रवीण कुमार)
वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांकः– 127 / 1जी–5055 दिनॉकः देहरादून 12 जुलाई, 2021

सेवा में,

1. श्री अमित वर्मा,
वन संरक्षक,
यमुना वृत्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. श्री अखिलेश कुमार,
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

3. श्री डी0के0 सिंह,
निदेशक / वन संरक्षक,
राजाजी टाईगर रिजर्व,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

4. श्री धीरज पाण्डे,
वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त,
उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।

5. श्री एन0एन0 पाण्डे,
वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

6. श्री अमित कुँवर,
निदेशक / वन संरक्षक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, उत्तराखण्ड,
गोपेश्वर।

7. श्री प्रवीण कुमार,
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

8. श्री कुबेर सिंह बिष्ट,
वन संरक्षक,
दक्षिणी वृत्त,
उत्तराखण्ड, नैनीताल।

9. श्री जीवन चन्द्र जोशी,
वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

10. श्री राहुल कुमार,
निदेशक / वन संरक्षक,
कार्बेट नेशनल पार्क,
उत्तराखण्ड, रामनगर।

विषयः– वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों में परीक्षणोंपरान्त पायी गयी कमियों के निराकरण सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त विषयक कृपया अवगत हो, कि अधोहस्ताक्षरी विगत 1 माह के अपने नोडल अधिकारी कार्यकाल अन्तर्गत यह दृष्टिगत कर रहे है, कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के Online तथा Offline प्रेषण के सम्बन्ध में प्रभाग / वृत्त स्तर द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रकियाओं का पूर्णतः पालन नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में कुछ तथ्य जैसे प्रस्तावों को Online Upload करने के पश्चात तत्काल प्रस्तावों को मूल प्रति सहित तीन प्रतियों में Nodal office को न भेजा जाना, hard copy में प्राप्त प्रस्तावों में Part I, Part II, Part III तथा Part IV का ही न पाया जाना, User Agency के द्वारा Part I में Online प्रस्ताव Upload करने के पश्चात लम्बे समय तक Part II का भरा ही न जाना, प्रस्तावों के विभिन्न प्रारूपों में सम्बन्धित अधिकारियों का नाम / दिनांक का न होना, EDS का उत्तर सीधे User Agency द्वारा नोडल अधिकारी को भेज दिया जाना, आदि–आदि प्रमुख है, जिस कारण प्रस्तावों की Processing में अपरिहार्य विलम्ब हो सकता है।

1. उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में सम्बन्धित वन संरक्षक यह सुनिश्चित करेगें कि उनके द्वारा पार्ट III में प्रस्ताव को संस्तुति करते समय ही, निर्धारित प्रतियों में प्रस्ताव की हार्ड कापी उनके कार्यालय के डिस्पैच द्वारा विशेष पत्र वाहक के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित करी जाये। ऐसा करते समय यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि ऑनलाईन प्रस्ताव भी परिवेश पोर्टल में भली भांति Upload किया जा चुका हो तथा हार्ड कापी के Part-I, Part-II एवं सभी भरे प्रारूपों का भी स्वयं की संतुष्टि तक परीक्षण कर लिया जाये।

2. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि, इस कार्यालय अथवा भारत सरकार कार्यालय स्तर से प्रस्तावों के निरीक्षण उपरान्त जारी किये गये EDS (Essential details sought) का उत्तर भी, आपकी संस्तुति उपरान्त ही इस कार्यालय को हार्ड कापी में प्राप्त हो। कृपया ध्यान दें कि अधिकांश EDS के उत्तर का सम्बन्धित वनाधिकारियों द्वारा परीक्षण किया जाना अत्यधिक अनिवार्य है तथा किसी भी स्थिति में User agency से प्राप्त EDS के उत्तर को, इस कार्यालय द्वारा सीधे संज्ञान में लिया जाना उचित नहीं है। User agency से सीधे प्राप्त उत्तर को पुनः DFO/CF स्तर से परीक्षण किये जाने हेतु भेजने में प्रस्तावों की Processing में अनावश्यक विलम्ब होगा।

3. भविष्य में प्रेषित किये जाने वाले प्रस्तावों के विभिन्न प्रारूपों में जहां–जहां भी वनाधिकारियों के हस्ताक्षर होते है उनके नीचे उनका नाम, पदनाम एवं दिनांक स्पष्टतः भरा होना चाहिये। यही प्रकिया User agency अथवा अन्य सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा भी प्रस्तावों में हस्ताक्षर करते समय कराई जानी चाहिये।

कृपया उक्त प्रकिया का तत्काल प्रभाव से कियान्वयन कराया जाये ताकि वन अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रेषित प्रस्तावों पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

भवदीय,

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या– /1जी--5055 दिनांकित।

1. प्रतिलिपि :–प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून, महोदय को सादर सूचनार्थ एव आवश्यक दिशानिर्देश निर्गत करने हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि :–मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ उत्तराखण्ड, नैनीताल, मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी एवं मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), उत्तराखण्ड देहरादून, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रतिलिपि :–समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, कुमांऊ एवं गढ़वाल, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।